

तारीख

हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अनवान: तीजा देवी वगै. बनाम स्टेट ऑफ राज.

नम्बर व नार्मिण्ड
अवश्याम जी हुक्म
हुक्म की नार्मिण्ड में
जायी हुए

रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
आदेश 9 नियम-9 सी.पी.सी.

6.05.25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी/वादी द्वारा दिनांक 04.11.2022 को प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन अन्तर्गत आदेश 9 नियम-9 सी.पी.सी. दर्ज रजिस्टर किया गया। जिसमें निवेदन किया गया कि उपरोक्त अनवानी दावा दिनांक 13.4.2022 को वादी की अनुपस्थिति के कारण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किये जाने का आदेश दिया जाकर पत्रावली को फैसल शुमार कर दाखिल दफ्तर किए जाने का आदेश हुआ। दिनांक 13.4.2022 को वादी के नजदीकी रिश्ते में गमी हो जाने के कारण वाद उक्त दिनांक पर माननीय हाजा न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका व न ही अपने अधिवक्ता को इसकी सूचना कर सका। उसके पश्चात वादी स्वयं पीलिया रोग से ग्रसित हो गया जिसका इलाज वैद्य जी से करवाया जिसमें करीब दो माह का समय लग गया। स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के उपरांत मैंने वकील साहब से आज से एक सप्ताह पूर्व सम्पर्क किया तो पता चला कि प्रकरण माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 13.4.2022 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र वादी स्वीकार फरमाया जाकर दावा वादी न्याय हित में रेस्टोर किये जाने का आदेश फरमाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 04.11.2022 को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी/प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया। वाद दिनांक 13.04.2022 को अदम पैरवी, अदम हाजरी में खारिज किया गया था। प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 9 सीपीसी पर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया। न्यायहित में प्रकरण रेस्टोर किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रकरण रेस्टोर किए करने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली पुनः नंबर पर दर्ज रजिस्टर किया जावे। पत्रावली उभयपक्ष को सूचित होकर वास्ते ~~रखी~~ आयन्दा दिनांक 30.6.25 को पेश हो।

सहायक फिल्टर,
बीकानेर शहर

